प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.02.2021 जनपद देवरिया।

सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफास, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, लैपटॉप, प्रिन्टर, मोबाईल फोन आदि बरामद।

दिनांक 18.02.2021 को वादी प्रमोद कुमार वर्मा पुत्र रमायन वर्मा नि0ग्राम–सोहनपुर थाना–बनकटा जनपद देवरिया द्वारा इस आशय की तहरीर उपलब्ध करायी गयी कि दिनांक 25.10.2020 को वादी द्वारा फेसबुक पर रीना कन्सेल्टी ऑफिस के विज्ञापन में विदेश भेजकर नौकरी लगाने के संबन्ध में दिये गये संपर्क नम्बर पर फोन किया गया, जिसके द्वारा वादी से कुल 22000रू0 लेकर फर्जी विजा वादी को कम्पनी द्वारा दिया गया तत्पश्चात फोन नम्बर बन्द कर लिया गया। उक्त के संबन्ध में थाना बनकटा पर मु0अ0सं0–29/2021 धारा–419,420,468,471 भादंसं 66डी आईटी ऐक्ट का अभियोग विरूद्ध रीना कन्सेल्टी ऑफिस के कम्रचारियों के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा उक्त ठगी करने वाले गिरोह के पर्दाफाश एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी साइबर सेल देवरिया एवं थानाध्यक्ष बनकटा को निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में आज दिनांक 25.02.2021 को प्रभारी साइबर सेल देवरिया व थानाध्यक्ष बनकटा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर अकटही बाजार से 03 व्यक्तियों को पकड़ा गया जिनके द्वारा अपना नाम–पता 01.अजित यादव पुत्र शिवनरायण यादव नि0ग्राम–मुहम्मदपुर थाना–बरेसर जनपद–गाजीपुर, 02.सत्यपाल राजभर पुत्र सत्यनरायन राजभर नि0ग्राम–महडौर थाना–कासिमाबाद जनपद–गाजीपुर, 03.सलमान खान पुत्र समसाद खान नि0ग्राम–सोनबरसा थाना–कासिमाबाद जनपद–गाजीपुर बताया गया। पकड़े गये व्यक्तियों के पास से दो अदद लैपटॉप, एक अदद स्कैनर मशीन, एक अदद मानीटर, चार अदद मोबाईल फोन, एक अदद कार्ड रीडर, दो अदद माउस, एक अदद बायोमैट्रिक मशीन व 1400रू0 नगद बरामद किया गया। बरामद समान के फलस्वरूप पकड़े गये व्यक्तियों से कड़ाई से पूँछ–तॉछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा एक रीना कन्सेल्टी कम्पनी के नाम से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर लोगों को विदेश भेजकर नौकरी लगाने का विज्ञापन भेजते हैं, जिसपर लोगों द्वारा फोन करने पर उनकों अपने झांसे में लेकर उनसे विदेश भेजने के लिए विजा, एयर टिकट आदि हेतु रूपये विभिन्न बैंक के खातों में मंगा लिया जाता है, तत्पश्चात रूपये प्राप्त होने के उपरान्त मोबाईल फोन बन्द कर लिया जाता है। हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं, घुम–घुम कर विभिन्न स्थानों से ठगी का कार्य करते हैं। इसी प्रकार अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ ठगी करने तथा फर्जी विजा उपलब्ध कराये जाने की घटना का इकबाल किया गया। साइबर टीम द्वारा बरामद लैपटॉप, मोबाईल फोन की जॉच से उक्त गिरोह द्वारा और लोगों से ठगी किये जाने के संबन्ध में जॉच की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से थाना बनकटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0–29/2021 धारा–419,420,468,471 भादंसं 66डी आईटी ऐक्ट का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

01.अजित यादव पुत्र शिवनरायण यादव नि0ग्राम–मुहम्मदपुर थाना–बरेसर जनपद–गाजीपुर,
02.सत्यपाल राजभर पुत्र सत्यनरायन राजभर नि0ग्राम–महडौर थाना–कासिमाबाद जनपद–गाजीपुर,
03.सलमान खान पुत्र समसाद खान नि0ग्राम–सोनबरसा थाना–कासिमाबाद जनपद–गाजीपुर।

बरामदगी का विवरणः–

01.दो अदद लैपटॉप,
02.एक अदद स्कैनर मशीन,
03.एक अदद मानीटर,
04.चार अदद मोबाईल फोन,
05.एक अदद कार्ड रीडर,
06.दो अदद माउस,
07.एक अदद बायोमैट्रिक मशीन
08.1400रू0 नगद।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–

01.निरीक्षक विजय सिंह गौर, अपराध शाखा देवरिया,
02.निरीक्षक अनील कुमार पाण्डेय, प्रभारी साइबर सेल देवरिया,
03.उ0नि0 प्रमोद सिंह थानाध्यक्ष बनकटा,
04.मु0आ0 शिवमंगल साइबर सेल देवरिया,
05.कां0 प्रद्युम्न जायसवाल साइबर सेल देवरिया,
06.कां0 दीपक सोनी साइबर सेल देवरिया,
07.म0आ0 पूर्णिमा चौधरी साइबर सेल देविरया,

02.थाना गौरीबजार पुलिस द्वारा 2 कि0ग्रा0 अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक गौरीबाजार मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर खरोह चौराहे के पास से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा अपना नाम पता दीपक राजभर पुत्र धर्मेन्दर राजभर सा0 खैरटिया निकटा ईट भट्ठा थाना गौरीबाजार देवरिया बताया गया, अभियुक्त के पास से एक झोले में कुल 2 कि0ग्रा0 अवैध गांजा बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए बरामद अवैध गांजे को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक भाटपार रानी मय हमराह संदिग्ध वाहन/व्यक्ति चेकिंग कर रहे थे कि भाटपार रानी कस्बे में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा अपना नाम–पता 01.जयेन्द्र देव पाण्डेय पुत्र ऋषिदेव पाण्डेय सा0 बेलापार पण्डित थाना भाटपाररानी देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद चाकू को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।